INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

000596

(1) [illegible] की पूरा पता देनेवाली :-

श्रीमती [illegible] देवी पत्नि श्री [illegible] पुत्री
पिता स्वर्गीय [illegible] तिवारी, जाति ब्राह्मण,
साकिन [illegible], पो० ओ [illegible],
जिला-[illegible], देश [illegible], भारत

611737 1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(2)

(2) नाम व पूरा पता लेख्यधारी :-

श्री हरगोविन्द राम पिता का नाम श्री रामचन्द्र राम जाति ... साकिन मौजा ..., थाना किशुनपुर, जिला-पलामू, पेशा-गृहस्थी, राष्ट्रीयता- भारतीय।

(3) लेख्य प्रकार :- बैनामा विक्रय - पत्र।

(4) बरसम्पन :- रू० 75,000/-(पचहत्तर हजार)रुपये।
बाजार मूल्य :- रू० 1,91,000/-(एक लाख एकानबे हजार)रुपये।

(5) सम्पत्ति :-

रकबा 0-06 (छ: डीसमील)जमीन आवासीय मकान बनाने के लिये अन्दर मौजा बारालोटा थाना-मेदिनीनगर, जिला-पलामू जिला रजिस्ट्री ऑफिस मौजा मेदिनीनगर, जिला-पलामू अंकित रैयती पैतृक का शामिल है जिसका पार्ट प्लोट खाता अपने हिस्सा का बिक्री करती है :- विक्रय भूमि का नक्शा साथ में संलग्न है। जो इस दस्तावेज का अभिन्न अंग है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	खाता नं०	सर्वे नं०
198	53	1	1	102

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
32 (बत्तीस)	21 (इक्कीस)	0-06 डी०	उ- राजपति देवी द- विक्रेता पु- नहर प- विक्रेता

1 1 0-06 डी० जमीन बिक्री करते है। जिसका लम्बाई उत्तर से दक्षिण करीब 70 फीट पूरब से पश्चिम करीब 37'4 फीट जमीन बिक्री होता है।

लगान मालगुजारी :- मो० 1-00 रुपया अदा करते रहेगा। नाम मालिक- झारखण्ड सरकार वास्ते अंचल पदा० [illegible]नगर, जिला-[illegible]।

विदित हो कि खाता नं० [illegible]
सम्पत्ति [illegible] [illegible] है जिस पर [illegible] [illegible] [illegible] आ रहे है। इस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का

012781

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विवाद को कोई वास्ता नहीं है ।

फिलहाल बेचवारी को पैसा का बहुत जरूरत वास्ते खरीदने अपने ख्वाब में जमीन का है जो बिना जमीन बिक्री किये पैसा का इंतजाम होना मुश्किल है। इस तरह बेचवारी सोच समझकर खाता सं० पांच के सम्पत्ति को बेचवारी के हाथ बिक्री करते है जो जरसमन का रुपया बेचवारी रजिस्ट्री के पहले ही वसूल पा चुके है ।

बेचवारी को चाहिए कि उक्त सम्पत्ति पर हद दखल मालिकाना कायम रह कर जोत कोड़ किया करें और इसके अवसर की पैदावार को अपने सरफा में लावे तो इस बेवाला को अंचल कार्यालय मेदिनीनगर में पेश कर दाखिल खारिज रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा कर लगान अंचल का मालगुजारी रसीद हासिल किया करें।

आज तक उक्त सम्पत्ति पर जो भी हक अधिकार जो दखल कब्जा बेचवारी को प्राप्त है, आज से खरीदार को प्राप्त हुआ और उनके कब्जा में आये । इस सम्पत्ति से बेचवारी को उनके वारिसान को कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा और न आईन्दा होगा ।

50 Rs.

पचास रुपये

भारत

INDIA

५० रु. FIFTY RUPEES 50 Rs.

(6)

स्था०, बेरहमीनगर,
दिनांक 6-10-05

(मनोज कुमार)

आदेश : अरविन्द कुमार वादी का वाद 41/02 मोकाम मैथिलीनगर बैनामा दाखिल कराया पढ़कर दोनों पक्षों को सुना समझाया दिन आदेश ता० :- 6-10-2005 ई०

भारत

5000रु.   Rs. 5000

पाँच हजार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

(1) नाम की पूरा पता [illegible] -

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

(2) नाम को पूरा पता [illegible] :-

श्री हरिगोविन्द राम पिता का नाम श्री रामचन्द्र राम साकिन [illegible] ग्राम बौसा [illegible], पो० [illegible], थाना किशनपुर, जिला-पलामू, पेशा-गृहस्थी, राष्ट्रीयता- भारतीय ।

(3) लेख प्रकार :- बेवामा विक्रय - पत्र ।

(4) मूल्य :- रू० 75,000/-(पचहत्तर हजार रुपये ।
बाजार मूल्य :- रू० 1,91,000/-(एक लाख इकानबे हजार रुपये ।

(5) सम्पत्ति :-

[illegible] 0-06 (1: [illegible]) जमीन आवासीय मकान बनाने के लिये अन्दर मौजा [illegible] थाना-[illegible], जिला-[illegible] [illegible] [illegible] मौजा [illegible], जिला-पलामू [illegible] [illegible] है जिसका [illegible] किस्म [illegible] है :- [illegible] को [illegible] में [illegible] । जो इस दस्तावेज का [illegible] है ।